

FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

Regd. Office:- 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001, CIN: L51503DL1986PLC024329
Tel. No.: 011-43585000; Fax: 011-43585015, E-mail: bajaj_kk@yahoo.co.in, firl.nbfc@gmail.com; Website: www.firl.co.in

Date: 8th May, 2018

To,

Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Listing Department
4th Floor, Vibgyor Toweres, Plot No. C-62
Opp Trident Hotel
Bandra East, Mumbai-400098

SCRIP CODE: FIRL

Dear Sir,


Subject: Published Copy of notice of Board Meeting

Please find enclosed herewith the Published copies of Notice of Board Meeting to be held on 16th May, 2018 published in Financial Express and Naya India dated 8th May, 2018.

Kindly take the same into record for your further needful.

Thanking You,
Yours Faithfully,

For Fortune Industrial Resources Limited


Neha Sarpal
Company Secretary

Encl.: As above

SAMTEL INDIA LTD
 Regd. Office: Village Naya Nohara, Tehsil Ladpura
 Corporate Office: 501, 5th Floor, Copia Corporate Park, Connaught Place, New Delhi-110028

NOTICE
 In compliance with the regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Company will be held on **Tuesday, the May 22, 2018** to consider, inter-alia, Audited Financial Results of the Company for the financial year ended on March 31, 2018.

Place: New Delhi
 Date: May 7th 2018

Ind-Swift Labs
 Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, Sector 17, Chandigarh
 CIN No. L24232CIN

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, the 14th of May 2018 at 10:00 am to take on record inter-alia among other items the Quarter and Financial Year ended 31st March 2018. This information is also available on the website www.indswiftlabs.com and the websites www.bseindia.com and National Stock Exchange of India.

Place: Chandigarh
 Date: 07-05-2018

SRF LIMITED
 CIN: L18101DL1970PLC030000
 Registered Office: The Gajivihar, Unit No. 236 & 237, Sector 17, Chandigarh
 Corporate Office: Block C, Sector 17, Chandigarh
 Tel: +91-124-4354400
 Email: info@srf.com

NOTICE
 NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 17th of May, 2018 at 10:00 am to consider and recommend the financial results for the quarter and the year ended 31st March 2018 and recommendation of final dividend for the quarter and the year ended 31st March 2018. This information is also available on the website www.srf.com and also on the website of the National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com.

Place: Gurgaon
 Date: May 7, 2018

Bank of Baroda
 (A Govt. Of India Undertaking)

Assets Recovery Management
 Tel No. 011-2344XXXX

Sale of Secured Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Enforcement) Rules

Notice is hereby given to the public in general that the possession of which had been taken over by the Bank of Baroda, the terms mentioned below for the recovery of the Security Interest (Enforcement) Rules (1993) are as follows:

Sl. No.	Branch	Name of the Borrower/Guarantors

PUBLIC NOTICE
 General public is hereby informed that due to certain unavailability of the proposed Public Auction (of pledged ornaments - M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 9th, 10th, 11th, 12th and 13th May 2018 is now re-scheduled for 9th, 11th, 12th & 13th May 2018. The place and time of Public Auction shall remain the same as the concerned Borrowers. In case of any clarification, please contact the concerned branch office of our client.

Kohli & Sobti Advocates
 A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110028

Note: Customers can release their pledged ornaments before the Public Auction against payment of dues of our client. Customer can contact recoverynorth@muthootgroup.com or Call at 7834886464.

FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
 Regd. Office:- 25, Bazar Lane, Bengali Market, New-Delhi-110001
 CIN : L51503DL1986PLC024329;
 Website: www.firl.co.in
 Tel. No.: 011-43585000,
 Fax: 011-43585015
 E-mail : firl.nbfic@gmail.com

NOTICE
 Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company has been scheduled on Wednesday, 16th May, 2018 at its registered office 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001 at 10:00 am for the purpose of approval of the scheme of amalgamation. The aforesaid notice is also available on the website of the company www.firl.co.in.

Fortune Industrial Resources Limited
 Sd/-
 Neha Sarpal
 Company Secretary

Date : 07.05.2018
 Place : New Delhi

भारतीय कंटेनर लिमिटेड
CONCOR CORPORATION
 (A Govt. of India Undertaking)
 A Navratna Company
 ICD, Tughlakabad, New Delhi-110002

PUBLIC AUCTION/TENDER NOTICE DISCLOSED UNCLAIMED IMPORTED CARGO THROUGH
 Container Corporation of India Ltd. shall be auctioning unclaimed and unclaimed/uncleared imported containers and Northern Region & Eastern Region those containers from 31.03.2018 through e-auction on 25.05.2018. All details along with Terms & Conditions of sale will be available on www.concorindia.co.in & www.mstcecommerce.com from 10.05.2018. All importers including Government Undertakings/containers/goods are lying unclaimed/uncleared at respective terminals, because of non-availability of documents or any such reason may accord with the provisions of the Customs Act, 1962. General Manager at Northern Region/Eastern Region, Commissioner of Customs of the concerned region may be contacted for any objections/claims regarding disposal of such goods. Notice failing which the goods will be auctioned without any further notice. For full details please refer to the website www.mstcecommerce.com

23A300436/23-3543
 203, Yamuna
 CSC, Delhi-92

NOTICE
 Notice is hereby given that 103 shares of Lakshmi Electrical Control Systems Pvt. Ltd. held in the name of Mr. Ravindra Mohan Mr. Shailendra Mohan Pachori and duplicate share certificates for 103 shares of the 1st holder of the shares i.e. Mr. Shailendra Mohan Pachori are being held by the company at their Registered Office, Coimbatore - 641018. The details of the shares are as follows: Distinctive Numbers & Number of Shares - 9841 - 643951-644000 - 50; 28612-28613-53 respectively. Objections, if any, should be filed in duplicate share certificates, should be filed in the Office of the company within 15 days of this notice.

The Public are hereby cautioned to purchase these shares in the manner with these shares.

Place: Agra
 Date: 07 May 2018

GMR signs pact with group to sell its entire stake in Nepal hydel project

PRESS TRUST OF INDIA
 Hyderabad, May 7

GMR ENERGY HAS signed a definitive agreement with a consortium of international investors for divesting its entire stake in Himal Hydropower Company and its associated transmission company Marsyangdi Transmission Company in Nepal.

Sources in GMR group said the project is currently under the development stage and is expected to be commissioned by 2021-22.

The project is currently under the development stage and is expected to be commissioned by 2021-22

According to a filing with the bourses on Sunday, GMR said it signed the agreement with SCIG International Nepal Hydro Joint Development Company, SCIG International, Kingcheng International Investment Co and QYEC International Co. and Nepal-based Butwal Power Company.

GMR Energy, a subsidiary of GMR Infrastructure, is developing the 600 MW Upper Marsyangdi -2 Hydro Electric Power Project (UMHEP) on the river Marsyangdi in Lamjung and Manang districts of Nepal.

A joint development agreement (JDA) has been executed with the IFC as co-developer with a 10% equity rights.

According to GMR's official website, the Directorate General of Foreign Trade has already granted a long-term licence which is valid for 30 years for import of power from this project.

ढया इंडिया दिल्ली

कफाट

शाम की पाली के स्कूल आज बंद रहेंगे

नई दिल्ली, भाषा। सरकार ने आंधी तूफान और भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर शाम की पाली में लगने वाले सभी स्कूलों को कल बंद करने का निर्णय किया है। सरकार ने कहा कि दूसरी पाली में चलने वाले (शाम की पाली) सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। इस बाबत फेसला मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की अध्यक्षता में चेतावनी के बाद तयारियों की समीक्षा करने के लिए हुई बैठक में लिया गया। मौसम विभाग ने आज जारी चेतावनी में कहा है कि कल दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा कि मौसम खराब रहने की चेतावनी के मद्देनजर शाम की पाली में लगने वाले सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। सरकार ने एंटी संभावित स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, यह परामर्श भी जारी किया है। बैठक में दमकल, राजस्व, यातायात, गृह और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य महकमों के अधिकारी मौजूद थे।

एसएससी धोखाधड़ी गिरोह का सरगना गिरफ्तार

नई दिल्ली, भाषा। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित आनलाइन परीक्षा में धोखाधड़ी में अभ्यर्थियों की मदद करने वाले गिरोह के संदिग्ध सरगना दिल्ली सरकार के एक क्लर्क को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। हरपाल सिंह (33) की शुरुआत को गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तार गिरोह सदस्यों की संख्या बढ़कर दस हो गई है। व्यापार एवं कर विभाग का एक अपर डिप्टी क्लर्क मार्च में गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद से फरार था।

दिल्ली में धूप भरी सुबह

नई दिल्ली, आईएनएस। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह धूप भरी सुबह रही। यहां का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने कहा, दिन में आंशिक बदली छाई रहेगी। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह 8 बजे आद्रता का स्तर 58 प्रतिशत रहा।

पुरी को स्मार्ट शहरों के काम की प्रगति की समीक्षा

नई दिल्ली ■ भाषा केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी स्मार्ट शहरों में अब तक हुये काम की भोपाल में कल से हो रहे दो दिवसीय सम्मेलन में समीक्षा करेंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज बताया कि शहरों में नागरिक सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिये 99 शहरों से जून 2015 में शुरू की गयी स्मार्ट सिटी परियोजना के अब तक के काम की समीक्षा के लिये पहला शीर्ष अधिकारी स्तर सम्मेलन कल से मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू होगा।

स्मार्ट शहरों में परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन की अध्यक्षता पुरी करेंगे। बैठक में परियोजना के तहत चयनित शहरों में बन रहे स्मार्ट सिटी सेंटर, सड़कों की

रूपरेखा में बदलाव (री.डिजाइनिंग) और प्रमुख इमारतों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने सहित अन्य प्रमुख कामों की प्रगति रिपोर्ट पेश की जायेगी। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध कार्ययोजना के तहत पूरा करने का मंत्रालय ने लक्ष्य तय किया है।

सम्मेलन के दूसरे दिन स्मार्ट शहरों में परियोजना के सीईओ अब तक के कामकाज से जुड़े अनुभव आपस में साझा करेंगे जिससे धीमी गति से चल रहे कार्यों को गति दी जा सके। इस दौरान सभी सीईओ को 'भोपाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड' द्वारा संचालित परियोजनाओं का दौरा भी कराया जाएगा। इस सम्मेलन में केन्द्र और राज्य सरकारों के संबद्ध अधिकारी और स्थानीय निकायों के

आयुक्तों के अलावा परियोजना में हिस्सेदार विभिन्न देशों के राजनयिक भी हिस्सा लेंगे।

दिल्ली को आदर्श शहर बनाने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, वार्ता। केंद्र सरकार ने दिल्ली को एक आदर्श एवं सुगम्य मॉडल शहर बनाने के लिए सभी पक्ष धारकों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए यह पहल की है ताकि सभी को इस बारे में जागरूक बनाया जा सके।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गयी जिसकी अध्यक्षता सचिव श्रीमती शकुंतला डी गामलिन ने की।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया महिला को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश

नई दिल्ली ■ भाषा

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के एक राजनीतिक नेता की 26 वर्षीय पुत्री को राहत प्रदान करते हुये राज्य पुलिस को उसे सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। इस युवती का दावा है कि उसकी सहमति के वगैर ही उसके परिवार ने उसकी शादी कर दी है और अब उसे अपनी जान का खतरा है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय बेंचपीठ के समक्ष पेश से कंप्यूटर इंजीनियर यह महिला सुश्री 'एक्स' नाम से पेश हुई और उसने यह शादी निरस्त करने का अनुरोध किया। उसका कहना था कि यह शादी उसकी



सहमति के बगैर की गयी है। इस महिला ने पीठ से सुरक्षा का अनुरोध किया क्योंकि वह बंगलुरु में आगे पढ़ाई करने के साथ ही नौकरी करना चाहती है। पीठ ने कहा कि वह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह हिन्दू विवाह कानून के प्रावधानों की संवैधानिकता और 'जबरन शादी' की वैधता पर विचार नहीं करेगी।

पीठ ने हालांकि महिला को बंगलुरु में

सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोध पर विचार किया और कर्नाटक पुलिस को उसे वहां सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया जहां वह काम और पढ़ाई के सिलसिले में रहेगी। पीठ ने कहा, आप बालिंग हैं। आप जहां भी चाहें जाने के लिये स्वतंत्र हैं। पीठ ने कहा कि उसके परिवार के सदस्य और पति सहित कोई भी उसे मजबूर या डरा धमका नहीं सकता है। न्यायालय से इस महिला की और से वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह ने अनुरोध किया कि उसकी और उसके परिवार की पहचान गोपनीय रखी जाये। पीठ ने इस युवती के माता पिता को उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज लौटाने के आग्रह पर विचार किया। जयसिंह ने शुरू करने का अनुरोध किया था परंतु बाद में कहा कि यह महिला अब उचित मंच पर विवाह विच्छेद के उपाय का सहारा लेगी। पीठ ने इस पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग को उसे सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया क्योंकि महिला ने कहा कि वह कर्नाटक वापस जा रही है। इस महिला का आरोप है कि उसे इस साल जनवरी में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के लिये बाध्य किया गया क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे शादी के लिये मजबूर किया। उसने यह भी दावा किया कि वह कर्नाटक में अपने अत्याचारी परिवार के चंगुल से बचकर दिल्ली पहुंची और वह अपने जीवन और अपनी स्वतंत्रता के लिये समुचित सुरक्षा चाहती है।

अवैध बैंकवेट हॉल, फार्म हाउस पर रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, भाषा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अधिकारियों से गाजियाबाद के अवैध बैंकवेट हॉल और वेडिंग फार्म हाउसों के खिलाफ की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी के कार्यावहक प्रमुख की अध्यक्षता वाली पीठ ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सात जुलाई तक इस मामले पर विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इससे पहले हरित अधिकरण को सूचित किया गया कि इस तरह के 106 बैंकवेट हॉल संबंधित विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बगैर ही चल रहे हैं।

रेलगाड़ियों के परिचालन में सावधानी बरतेगी मेट्रो

नई दिल्ली ■ भाषा मोसम विभाग द्वारा भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने ट्रेनों के परिचालन में काफी सावधानी बरतने का निर्णय किया है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में रेलगाड़ियों का परिचालन करता है और वर्तमान में यह 252 किलोमीटर नेटवर्क पर रेलगाड़ियां चला रहा है। डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हवा की गति अगस्त 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है तो ट्रेन की आवाजाही सामान्य रहेगी लेकिन एलिवेटेड सेक्शन के प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ियां 40



किलोमीटर प्रति घंटे या कम की रफ्तार से प्रवेश करेगी। उन्हींने कहा, अगर हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हुई तो ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर रोक दिया जाएगा और कोई भी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं करेगी।

उन्हींने कहा कि इस स्थिति में

हवा की गति 85 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की रफ्तार से होने पर रेलगाड़ियों की आवाजाही सामान्य कर दी जाएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल आंधी तूफान आने का अनुमान है।

सीसीटीवी परियोजना बड़ा घोटाला

कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप।

नई दिल्ली ■ संवाद सूत्र दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा घोटाला किया है। माकन ने कहा कि 13 अक्टूबर 2015 को दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए केबिनेट ने 130 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी जिसके लिए नवम्बर 2017 में टेंडर जारी किए गए जिसमें दो बिडर में से एक सफल बिडर रहा और इस टेंडर को रद्द कर दिया गया और 6 फरवरी 2018 को दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 571.40 करोड़ का एक नया टेंडर बदली हुई शर्तों के साथ मंजूर किया। जिसमें से कुल बजट का 44 प्रतिशत अर्थात 250 करोड़ रुपया सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव के लिए रखा गया। अर्थात कुल कैपिटल राशि का 78 प्रतिशत रखरखाव के लिए होगा।

माकन ने कहा कि बड़ी चोका देने वाली बात है कि 5 अप्रैल 2018 को ई.एफ.सी. एक्सपेन्डीचर ऑफिस कमेटी जिसके अध्यक्ष दिल्ली के उपमुख्यमंत्री



व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया व पीडब्ल्यूडी मंत्री सतेन्द्र जैन सदस्य हैं। उन्हींने यह निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को विस्तृत एक्शन प्लान के साथ केबिनेट के सामने रखा जाएगा। अर्थात यह प्रोजेक्ट मंत्रीमंडल के द्वारा भी मंजूर होना बाकी है। उन्हींने कहा कि बड़ी हेरानी वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को कम्प्लेट अथॉरिटी से मंजूरी नहीं मिली थी उससे पहले आरएफपी को निमंत्रण दिया गया तथा टेंडर को पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दे दी। 5 अप्रैल 2018 को ईएफसी मिन्ट्स में यह भी लिखा

गया है कि टेंडर को लेकर इस प्रकार की मंजूरी नहीं होती है और प्रॉसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ने कमेटी को यह भी बताया कि क्योंकि यह सुरक्षा केन्द्रित प्रोजेक्ट है इसलिए इस काम को कराने के लिए पीडब्ल्यूडी कार्यकारी संस्था होगी। माकन ने कहा कि जब सीसीटीवी लगाने के प्रोजेक्ट को केबिनेट की मंजूरी नहीं दी गई तो उससे पहले 571.40 करोड़ का नया टेंडर कैसे मंजूर किया गया। यह घोटाला नहीं है तो और क्या है? प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते

हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में दिल्ली के विकास के लिए न तो कोई कार्य किया और जो भी कार्य किया उसमें भ्रष्टाचार की सारी हद्दें पार हुई हैं।

जब भी केजरीवाल दिल्ली की जनता को अपने किए गए वायदों में असफल नजर आते हैं तो वे अपनी नोकामी का ठीकरा दिल्ली के उपराज्यपाल के उपर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। संवाददाता सम्मेलन में माकन के साथ दिल्ली के पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ, मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी, वरिष्ठ नेता चतर सिंह, दिल्ली प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस चेयरमैन अमन पंवार, आरटीआई सेल चेयरमैन व निगम पार्षद वेद प्रकाश, चीफ मॉडिया कॉऑर्डिनेटर मेहदी माजिद मौजूद थे।

माकन ने कहा कि अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सीसीटीवी कैमरे में किए गए घोटाले के दोषी मन्त्रियों व अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

जयप्रकाश अग्रवाल कोर्ट से आरोप मुक्त

नई दिल्ली ■ भाषा दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल को सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने के आरोपों से आज मुक्त कर दिया। अग्रवाल पर 2014 के आम चुनावों में प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने के आरोप थे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि वह एक ऐसा कार्य करने के लिए चार साल तक मामले का सामना कर रहे थे जो अपराध भी नहीं था। अदालत ने कहा कि इस बात का कोई आरोप नहीं था कि आरोपी ने प्याही, चॉक, पेंट या इस तरह की किसी अन्य सामग्री द्वारा लिखकर संपत्ति को विरूपित किया था। अदालत ने कहा, आरोपी ऐसा कार्य

करने के लिए लगभग चार वर्षों से मामले का सामना कर रहे थे जो एक अपराध नहीं है और यहां तक कि सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। उपर्युक्त चर्चा के आधार पर आरोपी को मौजूदा आरोपों से मुक्त किया जाता है। मार्च 2014 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ललित मोहन नामक एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि आरोपी ने 2014 के आम चुनावों में वोट हासिल करने के लिए उत्तर पूर्व दिल्ली के करावल नगर में सार्वजनिक शौचालय के ऊपर एक हॉर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित किया था। आरोपी ने अदालत को बताया था कि नगर निगम का यह शौचालय एक ऐसा स्थान था जहां शुल्क देकर विज्ञापन लगाये जा सकते थे।

कर्नाट प्लेस की बिल्डिंग में घंटों बिजली गुल!

नई दिल्ली, संवाद सूत्र। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियां अगर बिना सूचना के एक घंटे से ज्यादा बिजली कटौती करती हैं तो उन्हें हर उपभोक्ता को घंटे के हिसाब से हरजाना देना होगा। सप्ताह के पहले कामकाजी दिन सोमवार को कर्नाट प्लेस स्थित न्यू दिल्ली हाउस की बिजली बिना किसी सूचना के काट दी गई और घंटों बिजली गुल रही। पर बिजली क्यों कटी और इतने समय तक क्यों कटी रही इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।

ध्यान रहे 12 मजिल की इस बिल्डिंग में स्टेट बैंक सहित करीब साढ़े तीन सौ निजी और सरकारी कार्यालय हैं, जिनमें बिजली नहीं होने की वजह से दोपहर बाद कोई कामकाज नहीं हो पाया। एनडीएमसी ने बिना सूचना के दोपहर बाद करीब एक बजे पूरे बिल्डिंग की बिजली काट दी थी। बताया जा रहा है कि न्यू दिल्ली हाउस बिल्डिंग के एक ऑफिस ने अपने कार्यालय में बिजली फिटिंग के लिए एनडीएमसी से बिजली काटने को कहा था।

आप विधायक चुनाव में नियम तोड़ने के दोषी

नई दिल्ली, भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत को 2013 के विधानसभा चुनावों में हथकौट के दौरान चुनाव नियम तोड़ने का दोषी पाया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने स हरावत को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन ने उनके खिलाफ मामला साबित किया है। अदालत ने सजा की अवधि पर बहस के लिए 14 मई को तारीख मुकर्रर की है। पुलिस ने सात अक्टूबर 2013 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उन्हींने स हरावत का नाम लिखे और फोटो लगे कई पर्चे बरामद किए लेकिन इन पर्चों पर प्रकाशक का नाम नहीं है। मामला जनप्रतिनिधि कानून की धारा 127 ए के तहत दर्ज किया गया था। इस धारा के मुताबिक, प्रकाशक के नाम और पता के बिना कोई भी पर्चा और पोस्टर प्रकाशित या मुद्रित नहीं कराया जा सकता है।

विवाद में व्यक्ति की हत्या

नई दिल्ली, भाषा। गाना बजाए जाने को लेकर हुए विवाद में पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में कथित तौर पर एक डिस्क जॉकी ने 28 वर्षीय एक युवक की छुरा मार कर हत्या कर दी। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विजय कुमार ने बताया कि यह घटना कल आंधी तूफान को क्लब रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई। गीत बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ जिसमें नौ लोगों के एक समूह के साथ रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का टकराव हो गया। उन्हींने बताया कि दीपक ने विजय दीप पर छुरे से हमला कर दिया।

रेलकर्मियों करेंगे 72 घंटे की भूख हड़ताल

नई दिल्ली, वार्ता। रेलकर्मियों की यूनियन ने सातवें वेतन आयोग की कई सिफारिशों के कार्यान्वयन नहीं किये जाने और रेलवे के निजीकरण के प्रयासों के विरोध में 72 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल का ऐलान किया है।

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) ने कहा कि केन्द्र सरकार के विभिन्न संगठनों के नेताओं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री से अनेक बैठकों के बावजूद अब तक कोई फेसला नहीं हो सका है। संगठन की एक वृत्ति में कहा गया कि केन्द्रीय कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के भारत सरकार से किये गये आग्रहों के बावजूद कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाया और दो साल का कीमती समय बरबाद हो गया।

युवक-युवती परिचय सम्मेलन संपन्न

नई दिल्ली, संवादसूत्र। रोहिणी के सेक्टर 13 में बालासाहब देवरस कम्युनिटी हाल में प्रान्तीय ब्राह्मण सभा, दिल्ली की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव व 36वां विवाह योग्य युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी संघ के राष्ट्रीय सचिव धर्मवीर शर्मा, दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा, निगम पार्षद आलोक शर्मा, सुश्री देवज्ञा भारती मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की सभा की अध्यक्षता सी.पी. शर्मा ने की। उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए सभी वक्ताओं ने ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर जोर दिया और एक स्वर में आरक्षण की पुनः समीक्षा की मांग की। सभा के महामंत्री रवि लखनपाल ने बताया कि एक प्रस्ताव पास कर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रणाली लागू करने का सरकार से अनुरोध किया गया। सामान्य वर्ग के लोगों विशेषकर छात्रों और नौकरी खोज रहे बेरोजगारों की भावनाओं का ध्यान रखने की अपील भी सरकार से की



गई। रवि लखनपाल ने कहा कि कार्यक्रम में लगभग 550 परिवारों ने हिस्सा लिया और विवाह योग्य युवक-युवती परिचय सम्मेलन में 456 बच्चों का परिचय कराया गया। पूरे दिल्ली एनसीआर से आए ब्राह्मण परिवार व संस्थाओं ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर खुशी जताई। कार्यक्रम में रोहिणी शाखा के अध्यक्ष त्रिलोक भारद्वाज, केएल शर्मा, गोपाल चतुर्वेदी, संजय शर्मा, सत्य नारायण गोतम, पूर्व निगम पार्षद अनिल शर्मा, मनोज द्विवेदी, उमेश मुद्गल, रामफल भारद्वाज, पुलकित शर्मा, जगदीश शर्मा, सुरेश पालीवाल आदि उपस्थित रहे।



नई दिल्ली : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने वर्ष 2018-19 के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमडी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया। श्री रविन्द्र नाथ, सीएमडी, एनएसआईसी और डॉ. ए.के. पंडा, सचिव, एमएसएमडी, भारत सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। इस अवसर पर सुश्री अल्का नागिया अरोड़ा, संयुक्त सचिव, एमएसएमडी, डॉ. पी.जी.एस. राव, निदेशक (एमएसएमडी), श्री पी. उदयकुमार, निदेशक (पीएंडएम) एनएसआईसी और श्री ए.के. भित्तल, निदेशक (वित्त) एनएसआईसी उपस्थित थे।

FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
 Regd. Office:- 25, Bazar Lane, Bengali Market, New-Delhi-110001
 CIN : L51503DL1986PLC024329;
 Website: www.firl.co.in
 Tel. No.: 011-43585000,
 Fax: 011-43585015
 E-mail : firl.nbfic@gmail.com
NOTICE
 Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company has been scheduled on Wednesday, 16th May, 2018 at its registered office 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001 at 10:00 am for the purpose of approval of the scheme of amalgamation.
 The aforesaid notice is also available on the website of the company www.firl.co.in.
 Fortune Industrial Resources Limited
 Sd/-
 Date : 07.05.2018 Naha Sarpal
 Place : New Delhi Company Secretary

USS GLOBAL LIMITED
 (Formerly known as SURMIDH INVESTMENT LIMITED)
 Regd office : 1502, 15th Floor, RG Trade Tower, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi - 110034
 Phone: 011-45824477
 Website: www.ussglobaltd.com
 E-mail: surmidhinvestmenttd@gmail.com
 CIN: L74900DL1993PLC056491
NOTICE OF BOARD MEETING
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 42/18 Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, May 28th, 2018 at 2:30 PM. Inter alia, to consider and take on record the Audited Financial Results of the Company for the Fourth quarter and year ended March 31st, 2018.
 The said information is also available on the Company's website at www.ussglobaltd.com and shall also be available on the website of the stock exchange at www.mseai.in.
 By order of the Board,
 For USS Global Limited
 (Formerly Known as Surmidh Investment Limited)
 Sd/-
 Place: New Delhi Mohit Gupta
 Date: 7th May, 2018 Managing Director
 DIN: 02366793